

विक्रय मूल्य : /-रु0  
 मालियत : /-रु0  
 स्टाम्प : /-रु0  
 दर प्रतिवर्गमीटर : /-रु0  
 विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है।  
 मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र

### लेखपत्र का विवरण-विक्रय पत्र

1-सम्पत्ति का प्रकार आवासीय प्लाट  
 2-ग्राम  
 3-परगना मोहनलालगंज  
 4-विक्रीत सम्पत्ति का विवरण गाटा संख्या ..... मे से पैमाईशी क्षेत्रफल वर्गफिट  
 अर्थात {} वर्गमीटर विक्रय किया गया।  
 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर  
 6-राष्ट्रीय मार्ग से दूरी ..... कि0मी0 व रेलवे स्टेशन से ..... कि0मी0  
 7-प्रतिफल की धनराशि /-[लाख रूपये}  
**प्लाट की चौहद्दी**  
 पूरब :  
 पश्चिम :  
 उत्तर :  
 दक्षिण :

प्रथमपक्ष की संख्या-1 विक्रेता	द्वितीयपक्ष की संख्या-1 क्रेता
मो0 नं0	मो0 नं0
आधार सं0	आधार सं0
Pan No.	Pan No.

जो कि आवासीय भूमि/प्लाट खसरा संख्या-रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की है, जिसका प्रथमपक्ष/विक्रेता मालिक काबिज है। भूमि पर पेड़ बोरिंग इमारत आदि नहीं है विक्रय शुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी

योजना में अधिगृहित नहीं है तथा न ही अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है। जो आज तक हर प्रकार के विवादों, भारों, रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथमपक्ष/विक्रेता को प्राप्त है। अतः प्रथमपक्ष/विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि/प्लाट को बिलएवज **मुबलिंग** ...../—{..... रूपया} में द्वितीयपक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धन प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने समान क्रेता को करा दिया। आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि/प्लाट या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में नहीं रहा तथा द्वितीयपक्ष/क्रेता से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि/प्लाट का कुल या जुज भाग द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत प्रथमपक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि/प्लाट के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथमपक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, प्रथमपक्ष/विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकाम उज्र का न होगा, अब आज की तारीख से द्वितीयपक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथमपक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण	दर प्रति वर्गमीटर	मूल्यांकन
	/-	/-

- (1) विक्रीत भूमि का विक्रय मूल्य, मालियत से अधिक है, इसलिए नियमानुसार अधिकतम विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क निश्चित दर से दिया गया है।
- (2) विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्र** के अन्तर्गत है। राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है।
- (3) विक्रय किया गया प्लाट विक्रेता की **पैतृक सम्पत्ति** है, राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम अंकित है।
- (4) पक्षकार से पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है।
- (5) पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है।

भुगतान का विवरण

चेक सं०	धनराशि	दिनांक	बैंक का नाम

अतएव यह विक्रय पत्र अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक :  
गवाहान

विक्रेता

{1}

{2}

क्रेता

टाईपकर्ता

मसविदाकर्ता

{अंकुर मिश्रा}

तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।

{.....}

एडवोकेट

तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।